हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

14.10.25

पत्रावली पेश है। वकील वादी
[illegible] को बार-बार निर्देशों के उपरान्त
भी तामील नहीं कराई जा रही है।
जिससे प्रतीत होता है कि इनके द्वारा
न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं
की जा रही है। अतः वाद-वादी गण
कम्पलाईस में रखीदु किया जाता है
पत्रावली नम्बर ले कम से कम दो बार
तकमील जवाबली दाखिल दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर